

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी— श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० —	तारीख दायर	तारीख फैसला
30/2018/प्रार्थना पत्र	12.02.2018	28.02.2018

उनवान

- 1— काना पिता मोहन तेली निवासी कनेछनकलां तह० फूलियाकलां
- 2— गोपाल पिता मोहन तेली निवासी कनेछनकलां तह० फूलियाकलां
- 3— प्रेम पिता मोहन तेली निवासी कनेछनकलां तह० फूलियाकलां
- 4— लाली पिता मोहन तेली निवासी कनेछनकलां तह० फूलियाकलां

— प्रार्थीगण

बनाम

- 1— मांगु पिता पन्ना चमार निवासी नया सरसुन्दा तह० फूलियाकलां
- 2— मूला पिता जेटू तेली निवासी कनेछनकलां तह० फूलियाकलां

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा — 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम नया सरसुन्दा पटवार हल्का पेटा नाहर सागर तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 9 आराजी नम्बर 750 रकबा 0.51 है०, कुल किता 01 रकबा 0.51 है० भूमि स्थित है। पेरा नं० 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं० 1



2

व 2 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजीयात की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 28.02.2018 को विपक्षी संख्या अप्रार्थी संख्या 1 का सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 9 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने से अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गई। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने बहस करनी चाही जिससे उनकी एक तरफा बहस सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम नया सरसुन्दा पटवार मण्डल पेटा नाहर सागर संवत 2071 से 74 के खाता संख्या 9 आराजी नम्बर 750 रकबा 0.51 है०, कुल किता 01 रकबा 0.51 है० के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम नया सरसुन्दा पटवार हल्का पेआ नाहर सागर तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 9 आराजी नम्बर 750 रकबा 0.51 है०, कुल किता 01 रकबा 0.51 है० के प्रार्थीगण के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे ऑफ सीजन मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 200/- (अक्षरे दो सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर

प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 28.02.2018 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।



(भंवरलाल कांसोटिया)

आर०ए०एस०

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा